जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005			
लोक प्राधिकरण का नाम - कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर -11, सीबीडी- बेलापुर, नवी मुंबई- 400614			
जनसूचना अधिनियम संबन्धित मामलों के नोडल अधिकारी			
नाम	पदनाम	दूरभाष	फ़ैक्स
श्री गणेश सामंत	उप महाप्रबंधक (प्रशासन) निगम कार्यालय	022-27587441	022-27572420
जन सूचना अधिकारी			
नाम	पदनाम	दूरभाष	फ़ैक्स
श्री गणेश सामंत	उप महाप्रबंधक (प्रशासन) निगम कार्यालय	022-27587441	022-27572420
श्री बबन घाटगे	उप महाप्रबंधक (पीआर, योजना एवं व्यवसाय विकास)	0832-2702579	0832-2172793
श्री महेश साखळकर	वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्मिक अधिकारी/ रत्ना.	02352-228207	02352-228905
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी			
श्री आशीष आपटे	प्रधान मुख्य सी. एवं दू सं इंजी	022-27587370	022-27572420
श्रीमती आशा शेट्टी	क्षेत्रीय रेल प्रबन्धक /कारवार	08382-238176	08382-283152
श्री शैलेश डी बापट	क्षेत्रीय रेल प्रबन्धक/रत्नागिरी	02352-228922	02352-228905

अध्याय- II, धारा 4 (1) उप-खंड (ख) के अनुपालन में, सूचना इस प्रकार है:

I)संगठन की विशिष्टिय,कृत्य और कर्तव्य

सामान्य रूपरेखा

कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRCL) का गठन 19.07.1990 को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल सरकार की राज्य सरकारों के बीच एक समझौते के तहत हुआ। दिनांक 20.8.1990 को भारत के पश्चिमी तट के उत्तर में रोहा (महाराष्ट्र में मुंबई के समीप) तथा दक्षिण में ठोकुर (मंगुलुरू कर्नाटक) के बीच एक बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने, आवश्यक वित्त जुटाने और उसके संचालन के लिए व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह परियोजना भारत में पहली बार बी. ओ. टी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर) अवधारणा के तहत परिकल्पित की गई थी। यह रेल मार्ग दिनांक 26.01.1998 को कार्यान्वित किया गया।

बुनयादी ढांचा कार्य

- **दोहरीकरण:** कोंकण रेलवे ने 30.08.2021 को यात्री यातायात के लिए रोहा और वीर के बीच दोहरी लाइन चालू कर दी है।
- **विद्युतीकरण**: संपूर्ण केआर रूट का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और इसे 20.06.2022 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- **बुनियादी ढांचे में वृद्धि:** इस सेक्शन की क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों में 10 अतिरिक्त क्रॉसिंग स्टेशन और 10 नई लूप लाइनें जोड़ी गई हैं।

निगम ने अपने उद्देश्यों के अनुसार निम्नलिखित अन्य कार्य भी किए हैं: -

सुरंग: आंध्र प्रदेश में ओक सुरंग, जम्मू-कश्मीर में जवाहर सुरंग और मुंबई-पुणे एक्सप्रेस द्रुतगति राजमार्ग की 11 सुरंगों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया।

आर.ओ.बी: झारखंड राज्य में 14 रोड-ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

	उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना का एक हिस्सा कटरा-धरम के 52.2 किमी के इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पूरा करने के लिए सौंपा गया था। इसमें सुरंगों में 44.59 किमी (86%) मार्ग, पुलों पर 4.6 किमी (8.6%) मार्ग और शेष 3.01 किमी मार्ग कटिंग और तटबंधों में है, जिसमें चेनाब नदी (आर्च ब्रिज) और अंजी खड्ड (केबल स्टे) पर दो प्रतिष्ठित पुल शामिल हैं। कार्य पूरा हो चुका है और यह खंड माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 06.06.2025 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
	साइडिंग - एमआरपीएल, मैंगलोर कार्य पूर्ण, साइडिंग विभिन्न वस्तुओं जैसे पेट कोक, सल्फर, बिटुमेन, पॉलीप्रोपाइलीन आदि की आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बल्ली - यह साइडिंग कंटेनरों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है।
	एनटीपीसी रेलवे साइडिंग परियोजना: एनटीपीसी ने कोंकण रेल को कर्नाटक राज्य में कुडगी सुपर थर्मल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और कोयला परिवहन प्रणाली के निर्माण का कार्य और गाडरवारा, मध्य प्रदेश में सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए रेल कनेक्टिविटी का कार्य परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध (पीएमसी) के तहत प्रदान किया है। काम पूरा हो चुका है।
	रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट फैक्ट्री, लोटे, रत्नागिरि: यह एक सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण केआरसीएल द्वारा किया जा रहा है। आरएससीएफ, मालगाड़ियों के वैगनों और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों के लिए यूनिट एक्सचेंज स्पेयर के रूप में महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों की आपूर्ति के लिए एक नोडल केंद्र होगा। परियोजना पूरी होने के चरण में है।
	थालास्सेरी से मैसुरू नई रेल लाइन: केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल) ने प्रस्तावित थालास्सेरी-मैसूरु नई रेलवे लाइन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम केआरसीएल को सौंपा है। परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी केरल राज्य में चरण-I के रूप में थालास्सेरी से मिनांगडी (103.64 किमी) और कर्नाटक राज्य में चरण-II के रूप में मिनांगडी से कड़ाकोला तक शेष भाग। थालास्सेरी से मिनांगडी तक 103.64 आरकेएम का अंतिम स्थान सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है। थालास्सेरी से सभी सुरंग स्थानों तक हवाई विद्युत-चुंबकीय (एईएम) सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। थालास्सेरी से मिनांगडी तक चरण-I के लिए डीपीआर केआरडीसीएल को सौंप दी गई है
	अन्नाकाम्पोइल-कल्लाडी-मेप्पाडी रोड टनल परियोजना: केरल सरकार ने अनक्कमपोइल-कल्लाडी-मेप्पाडी रोड सुरंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केआरसीएल को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में नियुक्त किया है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कोंकण रेलवे, लोक निर्माण (एच) विभाग और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केआरसीएल ने 4 लेन एप्रोच रोड और दक्षिणी छोर पर दो समानांतर प्रमुख पुलों के साथ ट्विन ट्यूब यूनिडायरेक्शनल सुरंग के लिए डीपीआर तैयार किया है। केरल सरकार से डीपीआर के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। व्यापक पर्यावरण अध्ययन पूरा हो गया है, भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
	रेल कनेक्टिविटी - वाइजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, केरल: विझिनजाम बंदरगाह (11 किमी) को जोड़ने के लिए केआरसीएल और विझिनजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (वीआईएसएल) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को एनजीआर मॉडल के तहत दक्षिणी रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया है। डीपीआर के लिए केरल सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

	ईसीओआर कार्य: ईस्ट कोस्ट रेलवे ने खुर्दा रोड - बोलनगीर नई बीजी रेल लिंक परियोजना के पुल, प्रमुख पुल, आरओबी और अन्य ऊंचे निर्माण कार्यों का काम कोंकण रेलवे को सौंपा है। कार्य प्रगति पर है।
	उत्तर पश्चिम रेलवे कार्य: उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर मंडल में नई बड़ी लाइन (23.65 किमी) के निर्माण का कार्य सौंपा है। कार्य प्रगति पर है।
	विद्युतीकरण कार्य: कोंकण रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में रेलवे विद्युतीकरण कार्य और राज्य सरकार में अन्य विद्युतीकरण कार्य शुरू किए हैं। विभिन्न स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
प्रौद्योगिकी	
	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा निम्नलिखित तकनीकों का उनकी संकल्पना के साथ विकास किया गया है।
	स्वचालित ट्रेन परीक्षण प्रणाली (KR-ATES): KR-ATES एक तरह का वे साइड इक्विपमेंट (डब्लूएसई) है, जिसका कोंकण रेलवे की टीम द्वारा पूरी तरह से अवधारणा और डिज़ाइन किया गया है। इस प्रणाली से चलती ट्रेनों के रोलिंग स्टॉक में विभिन्न दोषों का पता लगाया जा सकता है, जो इसके माध्यम से गुजरती हैं और असामान्य और दुर्घटनाओं से बचने के लिए तत्काल अलर्ट प्रदान करता है।कोंकण रेलवे को इस **नवीन तकनीकी समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है**
	कोंकण रेल द्वारा डिजाइन किया हुआ नया स्वचालित कोच धुलाई सयंत्र: एसीडब्ल्यूपी ट्रेन के डिब्बों की, पंधरा मिनट के भीतर एक मल्टीस्टेज बाहरी सफाई व्यवस्था है। एसीडब्ल्यूपी शौचालयों के नीचे कोच के क्षेत्र को भी साफ करता है जो अन्यथा मैन्युअल रूप से साफ नहीं किया जाता है। कोच वाशिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का ट्रीटमेंट के बाद पुन: उपयोग किया जाता है।
	बोल्डर नेटिंग और जिओ नेटिंग: कोंकण रेलवे के इंजीनियरों ने अपने मार्ग के पहाड़ियों की कटिंग में रेलवे पटरियों पर बोल्डर गिरने या मिट्टी की कटान को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित बोल्डर नेटिंग और जिओ-नेटिंग तकनीक की शुरुआत की है, इस तकनीक से मार्ग की संरक्षा काफी बढ़ी है।
	रो-रो (रोल-ऑन रोल-ऑफ): इस योजना का 26 जनवरी, 1999 को प्रारंभ किया गया था, जिसने वैगनों पर सीधे लदे हुए ट्रकों को ले जाने में सक्षम बनाया है और ट्रक ओपरेटरों के डीजल, टायर का घिसाव तथा ट्रकों के रख-रखाव के लिए खर्च कम किया है।
	सूचना प्रौद्योगिकी: कोंकण रेलवे के काम करने का एक मुख्य आधार है। आईटी ने कोंकण रेलवे को कुशल और मानव बल कम बने रहने में मदद की है। इस रेलवे अनुप्रयोग पैकेज में एकीकृत ईआरपी के विभिन्न मॉड्यूलों के माध्यम से कोंकण रेल के काम करने के सभी पहलुओं का समर्थन करता है, जो भारतीय रेल पर पहला और अभी भी अद्वितीय है।
अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ:	

i. कोंकण रेलवे ने नेपाल रेलवे को 2 डेमू रेक की आपूर्ति का ऑर्डर पूरा कर लिया है। 24/03/2023 को विदेश मंत्रालय और आरबी को रिपोर्ट सौंपी गई। पूर्व मध्य रेलवे ने 13.03.2020 के एलओए के जरिए रक्सौल और काठमांडू के बीच नई बीजी लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का काम सौंप दिया है। कोंकण रेलवे ने 24/03/2023 को विदेश मंत्रालय और आरबी को रिपोर्ट सौंपी। ii. नेपाल रेलवे लाइन के जयनगर-कुर्था खंड का संचालन और रखरखाव केआरसीएल द्वारा किया जा रहा है। यात्री सेवाओं का उद्घाटन भारत और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा 02.04.2022 को किया गया। iii. केआरसीएल ने रेलवे प्रणालियों के पुनर्वास के लिए दिसंबर 2022 में मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मगदी, केन्या के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013) के तहत शामिल एक सरकारी कंपनी है।

1. इक्विटी शेयर कैपिटल: निगम की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी रु 4000,00,00,000 के मुकाबले इक्विटी शेयर कैपिटल के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:

शेयरधारक का नाम	दिनांक 31.10.2025 तक प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
रेल मंत्रालय	1,67,98,277,000	65.54
महाराष्ट्र सरकार	3,96,54,24,000	15.47
गोवा सरकार	1,08,14,79,000	4.22
कर्नाटक सरकार	2,70,36,98,000	10.55
केरल सरकार	1,08,14,80,000	4.22
रेलवे बोर्ड के नामित सदस्य (संख्या -3)	3,000	
विशेष/निवासी आयुक्त, (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्य - संख्या -01 प्रत्येक)	4,000	
कुल	25,63,03,62,000	100

2. वरीयता शेयर पूंजी: 31.10.2025 को निगम की अधिकृत अनिवार्य परिवर्तनीय, गैर-संचयी वरीयता शेयर (सीसीपीएस) पूंजी ₹4079.51 करोड़ थी, जबकि भुगतान सीसीपीएस पूंजी ₹3530.63 करोड़ थी। संपूर्ण सीसीपीएस रेल मंत्रालय के पास है।

II) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

केआरसीएल रेलवे परिवहन संगठन है। संगठन में सभी स्तरों पर कंपनी के अधिकारियों की शक्तियाँ अच्छी तरह से परिभाषित हैं। कर्तव्यों को विभागवार सौंपा गया है और विभाग के संक्षिप्त कार्यों को केआरसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.konkanrailway.com पर विभाग टैब के अंतर्गत देखा जा सकता है। अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण टैब --> विभाग के अंतर्गत दिया गया है

III) निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

	संगठन की सभी गतिविधियां कार्य, भंडार, वित्त, स्थापना, सामान्य और विविध के लिए शक्तियों की अनुसूची द्वारा शासित होती हैं। ऐसे मामले जिनमें कार्यपालकों के विभिन्न स्तरों के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं। प्रस्ताव को निर्णय लेने के लिए अगले उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है, यदि वह किसी की शक्तियों की निर्धारित अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। कार्यकारी अधिकारियों का पदानुक्रम निम्नलिखित बढ़ती के क्रम मे है; जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड, चयन ग्रेड, सीनियर प्रशासनिक ग्रेड, उच्च प्रशासनिक ग्रेड, बोर्ड स्तर के निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। निर्णय लेने के लिए कोई विशेष समय-सीमा नहीं है। हालाँकि, एसओपी के अनुसार संबंधित कार्यकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मामले की प्रकृति के आधार पर जल्द से जल्द निर्णय ले।
IV) कंपनी द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड	
	मुख्य मूल्य
	रचनात्मक दृष्टिकोण
	टीम भावना
	कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता
	कामकाजी व्यवहार में पारदर्शिता
	जिम्मेदार और जवाबदेही संगठन
V) कंपनी द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	
	कोंकण रेल ने कंपनी में कारोबार के संचालन के लिए नियम बनाए हैं। मुख्य मार्गदर्शक दस्तावेज निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:
	भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989
	सामान्य और सहायक नियम तथा संरक्षा मैनुअल
	स्थायी आदेश
	केआरसीएल द्वारा संदर्भित स्थानांतरण नीतियों और स्थानांतरण आदेशों सहित भारतीय रेलवे के विभिन्न कोड और मैनुअल टैब --> विभाग --> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
VI)अपने द्वारा या अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों के प्रवर्ग का विवरण।	
	कोंकण रेल, कंपनी के व्यावसाय से संबन्धित निम्म दस्तावेज रखता है। i. कार्य से संबन्धित तकनीकी दस्तावेज़ ii. वाणिज्य जानकारी iii. वार्षिक सांख्यिकी iv. कर्मचारी डाटा v. नीति के मामले संबंधित विभाग दस्तावेजों के संरक्षक हैं
VII) नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा पुनर्संयोजन के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था का विवरण।	
	• कोंकण रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति। विस्तृत जानकारी टैब --> विभाग --> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध है।

VIII) बोर्ड, परिषद, समिति और दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और क्या उन बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।	
	कोंकण रेल का संचालन उसके निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तीन कार्यकारी निदेशक, रेल मंत्रालय के दो अंशकालिक निदेशक, सहभागी राज्यों के चार अंशकालिक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर एंड डी समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक समिति, आदि का गठन किया। इन समितियों की बैठकें सार्वजनिक रूप से खुली नहीं हैं और इनके कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कोंकण रेल अपने बॉन्ड्स की लिस्टिंग के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के साथ एक समान लिस्टिंग समझौता किया है और मैसर्स शेरेक्स (डायनामिक्स) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोंकण रेलवे के बांड्स के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं।
IX)कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	
	महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर टैब --> हमसे संपर्क करें --> संपर्क नंबर के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
X) कंपनी के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है।	
	• केआरसीएल VII CPC के वेतनमान का पालन करता है। पारिश्रमिक विवरण टैब --> विभाग --> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध है।
	अन्य लाभ जैसे: सीडीए, एचआरए, छुट्टी, चिकित्सा उपचार, वाहन, पीएफ, पेंशन, और ग्रेच्युटी कर्मचारियों को दी जाती है
XI)कंपनी की प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट शामिल हो।	
	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना होता है। रेल मंत्रालय द्वारा व्यय को पूरा करने के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।
XII) सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है।	
	लागू नहीं
XIII) कंपनी द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	
	भारतीय रेलवे पर लागू सभी किराया और मालभाड़ा रियायतें कोंकण रेल पर लागू हैं।
XIV) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	
	कोंकण रेल की वेबसाइट वित्तीय विवरण जैसे कार्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी उपलब्ध करती है, जैसे बैलेंस शीट्स तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, अन ऑडिटेड त्रैमासिक परिणाम, निवेशक और यात्रियों के लिए आचार संहिता, पर्यटन संबंधी जानकारी, पी.एन.आर. स्थिति सहित वर्तमान ट्रेन स्थिति और विभिन्न तकनीकों, निविदाओं और संरक्षा संबंधी सूचना आदि की जानकारी भी कोंकण रेल की वेबसाइट konkanrailway.com पर उपलब्ध की गई है। इस वेब साइट पर अपने सवाल भेजे जा सकते हैं।
XV) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल हैं।	

	कोंकण रेल किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय का रख-रखाव नहीं करती है। हालाँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक जन सूचना अधिकारी को प्रश्न भेज सकते हैं या कोंकण रेल की सामान्य जानकारी वेब साइट से प्राप्त की जा सकती है।
XVI) जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम के विवरण।	
	जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है।
XVII) अन्य उपयोगी जानकारी।	
	पारदर्शिता ऑडिट 2023-24 पर सीआईसी की रिपोर्ट टैब --> विभाग --> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध है।
	बजट आवंटन और विदेशी और घरेलू दौरे: कोंकण रेलवे एक केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। केंद्रीय बजट में कोंकण रेलवे के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं है।
	सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका: कोंकण रेलवे, रेल मंत्रालय द्वारा अनुमत रियायतों को छोड़कर भारत सरकार के किसी भी सहायक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।
	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान: कोंकण रेलवे न तो कोई विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान देता है और न ही स्वीकारता है।
	रियायतें: रियायतों के संबंध में केवल वही रियायतें लागू होंगी जिनकी अनुमति रेल मंत्रालय द्वारा दी गई है।
	सार्वजनिक निजी भागीदारी: आज की तिथि तक, कोंकण रेलवे द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।
	माध्यम की उचित लागत पर उपलब्ध सामग्रियों की सूची: कोड और मैनुअल डिजिटल रूप में निःशुल्क उपलब्ध हैं, जबकि आईआरसीए द्वारा कुछ प्रकाशन मुद्रित लागत पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
	निर्णय लेने/लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा: ऐसी कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। हालांकि, कार्य की प्रकृति और पूर्णता अवधि को ध्यान में रखते हुए यथासंभव शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। **आरटीआई:** आवेदनों का उत्तर देने का लक्ष्य 30 दिन है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे की औसत निवारण अवधि 11 दिन थी। **सीपीग्रामस:** शिकायतों का उत्तर देने का लक्ष्य 21 दिन है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे की औसत निवारण अवधि 8 दिन थी।
	एसटीक्यूसी प्रमाणन: एसटीक्यूसी प्रमाणन कार्य प्रगति पर है और जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही यह प्रमाणन प्राप्त होगा, इसे अपलोड कर दिया जाएगा।
XVIII) भुगतान की विधि :	
	निदेशक, कार्मिक और प्रशिक्षण, लोक शिकायत और पेंशन विभाग की दिनांक 16.09.2005 की अधिसूचना के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से "FA&CAO/KRCL विविध खाता- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 खाते में भुगतान कर सकते हैं। आवेदक https://rtionline.gov.in पर भेंट दे कर अर्जी दे सकते है।

अद्यतन **30.10.2025**